रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2003/श्रावण 2, 1925
No. 654] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2003/SRAVANA 2, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 838(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग की उनकी अवस्थिति से संबंधित परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किया है;

और केन्द्र सरकार ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघशासित प्रदेशों में पर्यटन विकास के संवर्धन के संबंध में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन, के प्रस्तावों पर भी विचार किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक और लोक हित में समीचीन है ।

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उक्त नियम के उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोक हित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) की अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, अनुबंध-I में, पैरा 6 में उप-पैरा (2) में, -

(क) शीर्षक तटीय विनियमन क्षेत्र- III के अन्तर्गत, -

(i) खण्ड (i) में 'वानिकी' शब्द के बाद "परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं" शब्दों को जोड़ा जाए ;

(ii) खण्ड (i क) और इसके परन्तुक के बाद निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाए,अर्थात् :-

" (i ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किए गए अथवा कराए गए एकीकृत तटीय प्रबंध क्षेत्र अध्ययन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चुने गए और घोषित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश में द्वीप समूह के अभिनिर्धारित भागों में विकास रहित जोन को पचास मीटर तक कम किया जाए";

(ख) शीर्षक सी आर जेड - IV के अन्तर्गत,-

(क) उपशीर्षक" अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह" के अन्तर्गत , --

(i) खण्ड (i ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए अर्थात् :-

"(i घ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वयं अथवा इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए गए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध अध्ययन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चुने गए और घोषित अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश में द्वीप समूह के अभिनिर्धारित भागों में निर्माण रहित जोन को पचास मीटर कम किया जाए";

(ii) खण्ड (ii) में, आंकड़े" 200" के स्थान पर आंकड़े "50" प्रतिस्थापित किए जाएं ।

(ख) उपशीर्षक 'लक्षद्वीप और लघु द्वीप समूह' के अन्तर्गत, --

(i) खण्ड (i) में, 'विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श', शब्दों के स्थान पर 'एकीकृत तटीय जोन प्रबंध अध्ययन के आधार पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2. उक्त अधिसूचना में, अनुबंध- II में, पैरा 7 में, उपपैरा (i) में, --

(क) खण्ड (i) में, उपबंध के बाद, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"बशर्ते कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वयं अथवा इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए गए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध अध्ययन के आधार पर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ प्रदेशों में हाई टाइड लाइन से भूमि की तरफ पर्यटन विकास के उद्देश्य से पचास मीटर से आगे निर्माण की अनुमति होगी ";

(ख) खण्ड (ii) में " 0.33 से अधिक नहीं " शब्दों और आकड़ों के बाद," इसके अतिरिक्त दोनों अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ प्रदेश और लक्ष्यद्वीप संघ प्रदेश में सभी तलों का कुल आच्छादित क्षेत्र प्लाट आकार के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए " शब्द और आकड़े जोड़े जाएं।

[फा. सं. एच-11011/6/97-आई ए-III]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 1991 के संख्या का.आ.114 (इ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई

(i) का.आ. 595 (इ) दिनांक 18 अगस्त, 1994
(ii) का.आ. 73 (इ) दिनांक 31 जनवरी, 1997
(iii) का.आ. 494 (इ) दिनांक 9 जुलाई, 1997
(iv) का.आ. 334 (इ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998
(v) का.आ. 873 (इ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998
(vi) का.आ. 1122 (इ) दिनांक 29 दिसम्बर,1998
(vii) का.आ. 998 (इ) दिनांक 29 सितम्बर,1999
(viii) का.आ 730 (इ) दिनांक 4 अगस्त, 2000
(ix) का.आ. 900 (इ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000
(x) का.आ. 329 (इ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
(xi) का.आ. 988 (इ)दिनांक 3 अक्तूबर, 2001
(xii) का.आ. 550 (इ) दिनांक 21 मई, 2002
(xiii) का.आ. 1100 (इ) दिनांक 19 अक्तूबर,2002
(xiv) का.आ. 52 (इ)दिनांक 16 जनवरी, 2003
(xv) का.आ. 460 (इ)दिनांक 22 अप्रैल, 2003
(xvi) का.आ. 635 (इ)दिनांक 30 मई, 2003
(xvii) का.आ. 636 (इ)दिनांक 30 मई, 2003
(xviii) का.आ. 725 (इ)दिनांक 24 जून, 2003